न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 233/2024

अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 04/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादी खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 82/76 की कुल 7.5140 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में वादी का नाम पन्ना पुत्र हीराम दर्ज है जबकि जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम कृष्ण पुत्र हीराराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम कृष्ण पुत्र हीराराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी के खातेदार हकूकों का हनन होता है तथा वादीगण को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद–बीज व अनुदान आदि नहीं मिल रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पन्ना पुत्र हीरा के स्थान पर कृष्ण पुत्र हीराराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही तस्लीम कर लेवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तक तो आजकल करते रहे अंत मे इंकार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। महेन्द्र, भगवती व हवासिंह द्वारा वादी का नाम सही करने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:02 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधि[illegible]ई। अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया [illegible] में वादी का नाम [illegible] पुत्र हीराम दर्ज है जबकि जबकि वादी का सही व वास्तविक [illegible] कृष्ण पुत्र हीरा[illegible] वादी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम कृष्ण पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हीराराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी के खातेदार हकूकों का हनन होता है तथा वादीगण को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद–बीज व अनुदान आदि नहीं मिल रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पन्ना पुत्र हीरा के स्थान पर कृष्ण पुत्र हीराराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

हमने पक्षकारान को सुना व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 82/76 की कुल 7.5140 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त खाते में वादी का नाम पन्ना पुत्र हीरा दर्ज है जबकि वादी अपना नाम पन्ना पुत्र हीरा के स्थान पर कृष्ण पुत्र हीराराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पैनकार्ड आदि में वादी का नाम कृष्ण पुत्र हीराराम अंकित है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 82/76 की कुल 7.5140 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम **पन्ना पुत्र हीरा के स्थान पर पन्ना उर्फ कृष्ण पुत्र हीराराम** के संशोधन की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी के नाम पन्ना पुत्र हीरा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पन्ना पुत्र हीरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम पन्ना पुत्र हीरा ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 233/2024

अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 82/76 की कुल 7.5140 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम **पन्ना पुत्र हीरा के स्थान पर पन्ना उर्फ कृष्ण पुत्र हीराराम** के संशोधन की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादी के नाम पन्ना पुत्र हीरा के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पन्ना पुत्र हीरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम पन्ना पुत्र हीरा ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/09/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:42:02 IST
Reason: SelfAttested